न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या–53 / 2019

वाद प्रस्तुति दिनांक–26.06.2019

उनवान

मूलचन्द दत्तक पुत्र चन्द्रा जाति बैरवा निवासी ग्राम सौंन्दीफल तहसील–पीपलू जिला–टोंक

(प्रार्थी)

बनाम

1. तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक (राज.)
2. भू0 अभिलेख निरीक्षक झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
3. हल्का पटवारी सौंदीफल भू0अ0नि0 झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

निर्णय

दिनांकः–12.07.2019

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं कि खाता संख्या 307 में वर्णित आराजी ख0न0 176, 188, 212, 215, 216, 444, 752 कुल किता 07 कुल रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा वाकै ग्राम सौंदीफल तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं तथा काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। उपरोक्त भूमि वर्तमान से पूर्व जमाबन्दी संवत् 2068–2071 के खाता संख्या 174 में दर्ज थी। जो प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जिसके लगवा खाता संख्या 175 मूल्या पुत्र देवा जाति बैरवा निवासी मोहनी की भूमि खसरा नम्बर 1/1, 1/4, 1/6 कुल किता 03 कुल रकबा 02 बीघा भूमि थी। उक्त भूमि खाता संख्या 175 के खातेदार मूल्या पुत्र देवा जाति बैरवा निवासी मोहनी की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 1135 दिनांक 09.06.2015 को उसके वारिसान हजारी वगै0 के नाम भरा गया। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 1135 का जो नोट लगाया गया था। उसको राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से जमाबन्दी संवत् 2068–2071 की खाता संख्या 175 की जगह प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 174 में लगा दिया गया। उसके बाद

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

नवीन जमाबन्दी संवत् 2072–2075 खाता संख्या 307 में गलत नोट के आधार पर प्रार्थी का नाम हटाकर खाता संख्या 175 के खातेदार हजारी वगै0 का नाम अंकित कर प्रार्थी का नाम अंकित कर हटा दिया गया। जिसको देखते ही प्रार्थी के होश उड़ गये। जो त्रुटी हुई हैं वह राजस्व कर्मचारियों की त्रुटी के कारण हुई हैं। जिसको दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी की भूमि में किये गये गलत अंकन को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई तथा अप्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक व तथ्यात्मक रिपोर्ट मय जवाब पेश कर निवेदन किया की ग्राम सौंदीफल की जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 175 के खातेदार मूल्या पुत्र देवा की मृत्यु होने के कारण जरिये नामान्तकरण संख्या 1135 से उसके वारिसान हजारी वगै0 के नाम स्वीकृत किया गया किन्तु उक्त नामान्तकरण का कम्प्यूटर प्रति में तो जरिये नोट अमल किया गया पर पटवार परत में उक्त नोट का अंकन सहवन से नहीं हो पाया। जिसके फलस्वरूप इसी ग्राम की नवीन प्रोग्राम जमाबन्दी संवत् 2072–2075 में मृतक के खातेदार मूल्या पुत्र देवा का नाम खाता संख्या 178 पर यथावत रहा तथा नामान्तकरण संख्या 1135 का नोट जमाबन्दी संवत् 2068–2071 के खाता संख्या 174 पर अंकित खातेदार के खाते में सामने नोट अंकित कर दिया गया और सहवन से खातेदार की जगह उपरोक्त भूमि में गलत रूप से नाम अंकित कर दिया गया। जो त्रुटी पूर्ण हैं। जिसको सही किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि गलत रूप से दुसरे खातेदार की विरासत का नोट अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में नाम अमल कर दिया गया। जो गलत हैं जबकि प्रार्थी जीवित हैं तथा अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो त्रुटी की गई हैं वह सहवन से की गई हैं। जिसको दुरूस्त किया जाकर वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 307 में वर्णित आराजी ख0न0 176, 188, 212, 215, 216, 444, 752 कुल किता 07 कुल रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा वाकै ग्राम सौंदीफल में नामान्तकरण संख्या 1135 दिनांक 09.06.2015 के नोट के आधार पर किये गये गलत अंकन को निरस्त किया जाता हैं तथा उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता हैं।

तहसीलदार पीपलू को पालना हेतु लिखा जाकर पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

आज दिनांक **12.07.2019** को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू